# भारत सरकार
# पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
# क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
सत्यमेव जयते

**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**
**Regional Office (Central Region)**

प्रकृति: रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025

Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com


पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/06/2016/एफ.सी./1419

दिनॉक: 11-2-16

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन उपयोग वृत्त, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**( ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/15564/2015)**

**विषय : बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु ककनारे बाबा नाला पर 2 X 5 मीटर स्पान एवं 7.00 मीटर ऊची आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट एवं कर्व मरम्मत हेतु 0.3 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।**

**सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, लखनऊ, उ0 प्र0 का पत्रांक–1498/11–सी–यू0पी0–0173/2015, दिनांक– 19.01.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषया पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र–1353, दिनांक– 29.01.2016 द्वारा प्रस्ताव में कुछ बिन्दुवार त्रुटियों को सही करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया था जिसकी अनुपालना आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, लखनऊ, उ0प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संशोधित प्रस्ताव में निम्न त्रुटियां पाई गयी है जो इस प्रकार है–

1. प्रस्ताव के भाग–। में उल्लिखित परियोजना से प्राप्त होने वाले रोजगार का ब्यौरा गलत है।
2. प्रस्ताव के भाग–1 में (पृष्ठ–11) में दिया गया वानस्पतिक घनत्व ऑनलाईन प्रस्ताव में दिये गये वानस्पतिक घनत्व में भिन्नता है।
3. प्रस्ताव में संबंधित अधिकारियों की मोहर नही लगी हुई है।
4. प्रस्ताव में दी गयी क्षेत्रफल की गणना प्रस्ताव में उपलब्ध कराये गये मानचित्र (पृष्ठ–55) से मेल नही खाती है।
5. प्रस्ताव में संलग्न संबंधित वनाधिकारी की स्थल निरिक्षण आख्या अधूरी है।
6. प्रस्ताव में उपलब्ध करायी गयी वन भूमि की अधिसूचना संबंधित वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नही की गयी है।
7. पृष्ठ 56 में संलग्न मानचित्र बिना तालिका, शीर्षक के प्रेषित की गयी है।
8. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र google earth format पर नही उपलब्ध कराया गया है।
9. प्रस्ताव का नाम जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता है, गलत भरा गया है।
10. प्रस्ताव के भाग–। में दिये गये ब्यौरे में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता केवल 2 वर्ष के लिए है, उल्लिखित है। इसकी पुष्टि करें।

11/2/16

11. परियोजना हेतु वन भूमि के चयन पर प्रस्तुत औचित्य अप्रासंगिक है।
12. परियोजना में प्रस्तावित स्थल पर खड़े कुल वृक्षों की सूची एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की सूची अलग अलग प्रस्तुत करे।
13. परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि का भूसंदर्भित मानचित्र .shp/.kml फाइल सी0डी0 में उपलब्ध नही कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित बिन्दुवार त्रुटियों को दूर करके अनुपालना आख्या प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

**संलग्नक– मूल प्रस्ताव**

**भवदीय,**

**(बृजेन्द्र स्वरूप)**
**वन संरक्षक (के0)**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, 6वां तल,बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, बांदा, उ0 प्र0।
4. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

11/2/16

**(बृजेन्द्र स्वरूप)**
**वन संरक्षक (के0)**